

मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 1990 (अग्रहायण 30, 1912)

उम्र 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पूछकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पठल पर रखा जाना

(1) श्री बुन्देलखाल पठवा, मुख्य मंत्री, दिनांक 26 जून, 1990 को सदन में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के परिषेक में डाकिन हेलीकाप्टर से संबंधित जांच प्रतिवेदन पठल पर रखेंगे।

(2) श्री भेहनाल गाठीदार, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्रमांक 13 सन् 1990) की धारा 93 की उपधारा (4) की अधिसूचना क्रमांक 2482-1116-बाईस-प-2/90, दिनांक 28 सितम्बर, 1990 पठल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, प्रदेश के अनेक स्थानों में आरक्षण विरोधी छात्र-छात्राओं द्वारा आत्मदाह की घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सुबोदार सिंह, सदस्य, मुरैना एवं भिण्ड जिले के कृषकों को चम्बल नदी से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्रो उमाशंकर मुंजारे/जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, बालाधाट जिले के लामडा थानान्तर्गत एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्रो रामानन्द सिंह/विश्वम्भरनाथ पाण्डे/कुन्दन सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के अनूपपुर में पुलिस द्वारा शांति समिति के जुलस पर गोली चालन से एक व्यक्ति की मौत होने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्रो गोपाल भार्गव/कांतिलाल भूरिया, सदस्य, प्रदेश में डीजल, खाना पकाने की गैस एवं घासलेट की कमी से आम जनता एवं कृषकों को हो रही परेशानी की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) ठा. दरबार सिंह, सदस्य, सतना जिले के कोठी नगर में जनता दल की आमसभा में गड़बड़ी पैदा किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, इन्दौर के निकट पिड़वाय ग्राम की बस्ती की हरिजन महिलाओं को परेशान किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री मोतीलाल बोरा/जगदम्बा प्रसाद निगम/रामप्रताप सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम धरसोला में हुई हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री प्रेम शंकर वर्मा, सदस्य, सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सालई के वन कर्मियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री विश्वमध्य नाथ पाण्डे/दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, भोपाल स्थित सिकन्दरिया हाकी मैदान की भूमि पर पुलिस कन्ट्रोल रूम का निर्माण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अनूप सिंह मरावी, सभापति, आश्वासन समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामराव महाले, सदस्य—

(क) जिला छिदवाड़ा के अनुदान अप्राप्त शालाओं को नियमित अनुदान दिये जाने के संबंध में 169 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला छिदवाड़ा के भंसारी इंजीनियरिंग पालीमर्स लिमिटेड कम्पनी, सातनूर द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के संबंध में 50 व्यक्तियों की, याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री बलरामसिंह तिलगांग, सदस्य, जिला मण्डला, तहसील नैनपुर के ग्राम साली-वाड़ा (डिठोरी) में संचालित हाईस्कूल को 10+2 के विद्यालय में उन्नयन कराये जाने के संबंध में 57 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(3) श्री श्रीराम जाटव, सदस्य, जिला भिण्ड, विधान सभा क्षेत्र गोहद के ग्राम सुहास के तालाब को पक्का बनाये जाने के संबंध में 83 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(4) श्री विश्वमध्य नाथ पाण्डे, सदस्य, सब्जी मण्डी, रीवा को अन्यत्र स्थापित कराये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

6. संविहित संकल्प

निर्धारित
समय
30 मिनट

श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण नियन्त्रित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

“यतः मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक-3 सन् 1973) की धारा 4-के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 मई, 1982 से मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल की स्थापना की गई है;

और यतः राज्य शासन की राय है कि उक्त मंडल को जनहित में कार्यरत रखना आवश्यक नहीं है;

अतएव मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक-3 सन् 1973) की धारा 101 की उपधारा (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार यह विधान सभा एतद्वारा यह संकल्प करती है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल को तत्काल प्रभाव से विचारित किया जाय तथा इसके कार्य-कलापों का विर्वहन मध्यप्रदेश शासन तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जाय।”

निर्धारित
समय

30 मिनट

7. वर्ष 1984-85 की अधिकाई मांगों पर मतदान

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“दिनांक 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शनुदान संख्या 6, 8, 13, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 49, 52, 56, 65, एवं 89 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूति के निमित्त राज्यपाल महोदय को सोलह करोड़, नवासी लाख, शट्टाइस हजार, आठ सौ सप्तावन रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय।”

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग क्रमांक 5 विधेयक, 1990 (क्रमांक 30 सन् 1990) का पुरास्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घण्टा

30 मिनट

(2) श्री कैलाश चावला, गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा विधेयक 1990 (क्रमांक 31 सन् 1990) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

45 मिनट

(3) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 32 सन् 1990) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

2.30 बजे से

9. अशासकीया संकल्प

25 मिनट

(1) श्री रामप्रताप सिंह, श्री मेहरबान सिंह रावत, श्री करन सिंह वर्मा, श्री दत्तात्रय माधव राव जगताप सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

“इस सदन का मत है कि प्रदेश में गौ वंश के वध को गैर कानूनी घोषित किया जाय और ऐसे समस्त पशु वध गृहों को बंद किया जाय जहाँ गौ वध होता है।”

25 मिनट

(2) श्री विश्वमध्य नाथ पाण्डेय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :

“इस सदन का मत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निराश्रितों को दी जा रही 60 रुपये सहायता निधि [पेंशन] के स्थान पर रुपये 200 वृद्धि की जाय।

25 मिनट

(3) श्री आर. सी. सिंहदेव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :

“इस सदन का मत है कि नर्मदा की पिछले चालीस वर्षों की औसत वार्षिक जल उपलब्धता का आंकलन कराया जाए और प्राप्त आंकड़ों के परिप्रेक्ष में योजना का पुनरीक्षण किया जाय।

लेटे हुए मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्

निर्धारित

समय
20 मिनट

(4) श्री अनूप सिंह मरावी, श्री दिनेश कुमार कश्यप, श्री रामचन्द्र परतेती, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :

“इस सदन का यह भत है कि शासन द्वारा आदिवासियों को शराब बनाने की जो वर्तमान में छूट दी जा रही है वह तत्काल समाप्त की जाय. आदिवासियों को परम्परागत किसासन की छूट और केवल त्योहारों पर चुलाई की छूट जारी रखकर उनकी परंपरागत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है.”

25 मिनट

(5) श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

“इस सदन का यह भत है कि मध्यप्रदेश शासन द्विविभाग के ज्ञापन क्रमांक/डी-17-2-85-14-3 दिनांक 17-1-90 में 50 प्रतिशत अनुदान पर नलकूप खनन योजना में यह प्रावेद्यान जोड़ा जावे कि नलकूप असफल होने की स्थिति में कृषकों की शत प्रति शत रिस्क शासन बीमा योजना द्वारा या स्वयं बहन करे.

10. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

- (1) दिनांक 30 जूलाई, 1990 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्रमांक 5246) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदीश प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.
- (2) दिनांक 19-12-90 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 241) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुबेदार सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल
दिनांक 20 दिसम्बर, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.